

## न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

::आदेश ::

क्रमांक:- S 3/अ-59/2017-18/ 5258

बैतूल दिनांक 26/04/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, सरपंच ग्राम पंचायत कुम्हारटेक जनपद पंचायत बैतूल द्वारा, मौजा कुम्हारटेक तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 197 रकबा 7.484 में से 0.200 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है।

2- ग्राम पंचायत कुम्हारटेक के उक्त प्रस्ताव के आधार पर तहसीलदार बैतूल द्वारा विधिवत् कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार पाई गई है:-

(1)- मौजा कुम्हारटेक तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 197 रकबा 7.484 मद पहाड़ चट्टान में से 0.200 हेक्टेयर भूमि की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)- दिनांक 10-02-2018 को आयोजित ग्राम सभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव क्रमांक- 08 पारित किया जाकर मौजा कुम्हारटेक स्थित खसरा 197 रकबा 0.200 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(3)- राजस्व अभिलेख (खसरा) वर्ष 2017-18 के अनुसार मौजा कुम्हारटेक तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 197 रकबा 7.484 हेक्टेयर, भूमि पहाड़ मद में दर्ज है, अधिकार अभिलेख वर्ष 1968-69 के अनुसार उक्त खसरा नंबर पहाड़ चट्टान मद में दर्ज है।

(4)- उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति के आधार पर तहसीलदार बैतूल/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल द्वारा मौजा कुम्हारटेक तहसील बैतूल स्थित खसरा नंबर 197 रकबा 7.464 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.200 हेक्टेयर को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3- मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की 237 की उपधारा- (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को लोक प्रयोजनो तथा अन्य प्रयोजनो के लिए जो निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएं पृथक रख सकता है। धारा 243 (1) के अनुसार जहाँ आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र, कलेक्टर की राय में अपर्याप्त हो, वहाँ ग्राम की दखलरहित भूमि में से ऐसा और क्षेत्र आरक्षित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-1/2011/अधी./10842, दिनांक 8-11-2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांक:- 2489 दिनांक 25-2-2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4- प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति, तहसीलदार बैतूल अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा कुम्हारटेक तहसील बैतूल स्थित भूमि खसरा नंबर 197 रकबा 7.484 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान में से 0.200 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शो में लालस्याही से चिन्हित किया गया



है)को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियों को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।



(मूलानन्द वर्मा)  
अपर कलेक्टर 23/4/18  
जिला-बैतूल.

पृ0क्र0:- 53 /अ-59/2017-18/ 5258  
प्रतिलिपि:-

बैतूल दिनांक 26/4/2018

- 1- अनुविभागीय अधिकारी (रा0) बैतूल की ओर सूचनार्थ।
- 2- तहसीलदार बैतूल ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।
- 3- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
- 4- जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
- 5- सचिव ग्राम पंचायत कुम्हारटेक जनपद पंचायत बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर  
जिला-बैतूल.23/4/18